भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/09/2019/एफ.सी. **दिनांकः As per E-sign**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद-पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि0 मी0 के निर्माण हेतु 1.89 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के संबंध मे। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/43777/2020).

सन्दर्भः कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2651/12-1: देहरादून: दिनांक 27-06-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.11.2023 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमे कुछ त्रुटियाँ पाई गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. As per this office EDS dated 21.11.2024, there was some violation of FCA, 1980. In this regard, the State Government of Uttarakhand submitted that the Governor, Uttarakhand was withdrawal the Notification No. 869F/638 dated 17.10.1893 under Indian Forest Act 1878 as per State notification dated 28.09.2011 and hence was some construction activity has been done by User Agency. In this regard, this office has already issued letter dated 08.01.2024 that such de-reservation is a violation of Van (Sansrakhan & Sarvardhan) Adhiniyam 1980. Comments from State Government is required to be submitted.
2. As per DSS analysis, the proposed diversion area comes to 0.50 hectare instead of 1.89 hectare.

3. Alternative alignment of road is not submitted. State Government is requested to submit the details of alternate alignment.
4. It is found that CA scheme is for only three years has been submitted. It shall be revised by DFO as per current rules and uploaded at designated place.
5. A proper SIR of DFO in revised format is required to be submitted.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 23-12-2024 12:28:51

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।